न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आरएएस

प्रकरण संख्या:– 94 / 2014 / आवेदन अं0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. बनवारी लाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रायपुरा तहसील धोद।
2. बंशीलाल पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी विजयनगर पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. महेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी गिदावाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
4. हरपालसिंह पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी दलेपुरा तहसील खेतडी जिला झूंझूनू।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद
3. कमला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद
4. कैलाश पुत्र जगदीश प्रसाद
5. दुर्गा देवी पत्नि रामलाल
6. विनोद पुत्र जगदीश प्रसाद
7. सन्तरा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद
8. हरिप्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद

   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. मन्जू देवी पत्नि केसरदेव जाति जाट निवासी अखेपुरा तहसील दांतारामगढ।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. भागीरथ पुत्र रूपा
14. मूलचन्द पुत्र रूपा

    जाति जाट निवासी अखेपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
15. किस्तूरी देवी पत्नि शिवपालसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा (अखेपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
16. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय दांतारामगढ
17. उपतहसीलदार महोदय उपतहसील कार्यालय पलसाना तहसील दांतारामगढ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
अर्न्तगत धारा 111 व 128 आर. एल. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील अप्रार्थी संख्या 11, 13 व 14 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10, 12, 15, 17 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

निर्णय

दिनांक – 14.07.2022

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना गिरदावर हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5416/1082 रकबा 0.168 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5418/1082 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.478 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसके आवेदकगण एक मात्र मालिक काबिज स्वामी है। आवेदकगण की दक्षिणी सीमा के पडौसी काश्तकार अनावेदकगण संख्या 1 ता 8 है। आवेदकगण के पश्चिमी सीमा के पडौसी अनावेदक संख्या 15 किस्तुरीदेवी है व उत्तर सीमा के पडौसी अनावेदकगण संख्या 13 व 14 क्रमशः भागीरथ व मूलचन्द है तथा पूर्वी सीमा के पडौसी अनावेदक संख्या 11 मंजू देवी है। जिसके खसरा नम्बर 5545/1085, अनावेदक संख्या 11 के खसरा नम्बर 5509/1083 है तथा अनावेदक संख्या 13 व 14 के खसरा नम्बर 1081 है। अनावेदकगण आये दिन आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1084, 5416/1082, 5418/1082 की नींव सींव को तोडते रहते है। जिससे परेशान होकर आवेदकगण ने अनावेदक संख्या 16 के यहां एक सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसकी सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी। जिसकी नकल आवेदक ने प्राप्त कर ली है। अनावेदकगण संख्या 1 ता 15 काफी तेज व चालाक हैं, जो आये दिन प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को तोडते रहते है व खुर्द बुर्द करते रहते है। इससे आवेदकगण के पास पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए आवेदकगण को पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1084, 5416/1082, 5418/1082 की पत्थरगढी/पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्राथनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10, 12, 15, 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से राजपैरोकार ने नोटेड किया। अप्रार्थी संख्या 11, 13, 14 की ओर से वकील सुरेन्द्रसिंह विश्राम हाजिर आये तथा आदेशिका पर पक्षकार सम्पर्क में नही होने हेतु लिखा गया। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2076--2079 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1084, 5416/1082, 5418/1082 वाके ग्राम पलसाना प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का पलसाना दिनांक 21.06.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त् करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ